



॥ ओ३म् ॥

गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय), हरिद्वार -249404

(नैक से "A" ग्रेड प्राप्त एवं यू०जी०सी० एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के अन्तर्गत समविश्वविद्यालय)

GURUKULA KANGRI (DEEMED TO BE UNIVERSITY), HARIDWAR - 249404

(NAAC "A" Grade Accredited Deemed to be University u/s 3 of UGC Act 1956)

पत्रांक - स्था-५/५२/०१

दिनांक : 19.01.2021

कार्यालय सूचना

गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) में अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं गैर शैक्षणिक पदों पर कार्यरत अभ्यर्थियों की CAS प्रोन्नति की जानी है। जिस हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के रेगुलेशन-2018 के अनुसार प्रारूप तैयार कर विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर उपलब्ध है। प्रारूप भरने हेतु यू०जी०सी० के निम्न आदेशों का भी दृणता से पालन करना है :-

1. यू०जी०सी० के पत्र संख्या F.No. 1-1/2018 (Journal/CARE) दिनांक 16.09.2019 में Care List के अनुसार यू०जी०सी० केयर लिस्ट के अनुसार ही Journals देखे जायेगे। जो Journals यू०जी०सी० केयर लिस्ट में होंगे उन्ही पर विचार किया जायेगा (संलग्नक-1)।
2. यू०जी०सी० के पत्र संख्या N.F.I-1/2020(SECY) दिनांक 20 अप्रैल, 2020 के अनुसार सम्बन्धित Claim के लिए Plagiarism (साहित्य चोरी) प्रमाण पत्र संलग्न करें इसके अभाव में विश्वविद्यालय इस सम्बन्ध में स्वयं शोध पत्र/पुस्तकों के Plagiarism जांच करायेगा, तदुपरान्त ही Eligible अभ्यर्थियों की CAS प्रोन्नति पर विचार किया जायेगा (संलग्नक-2)।

अतः जो शिक्षक CAS प्रोन्नति हेतु अर्हता माह फरवरी-2021 तक पूरी करते हैं, वह विश्वविद्यालय की वेबसाईट से आवेदन पत्र का प्रारूप डाउनलोड कर, उसे भरकर कुलसचिव कार्यालय में दिनांक 15.02.2021 तक जमा कर दे। उक्त तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

संयुक्त कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. मा० कुलपति जी
2. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष
3. कुलसचिव कार्यालय
4. विश्वविद्यालय वेबसाईट

संयुक्त कुलसचिव

